रामरख बनाम धोकलराम

अपील अर्न्तगत धारा 229 आरटीए

मुकदमा नंबर 2018 / 10

जीसीएमएस नंबर 2018 / 00345

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तारीख में जारी हुकम
11–11–25	पत्रावली पेश हुई। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण वर्ष 2018 से नोटिस तामील के अभाव में लम्बित चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली शामिल मिसल है। शेष रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामील हेतु कई बार लिखा जा चुका है। पूर्व आदेशिका दिनांक 25–06–2025 व दिनांक 28–08–2025 को वास्ते रजिर्स्टड नोटिस पेश व जारी एवं रशीदे पेश करने हेतु अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है। पूर्व पेशी दिनांक 01–10–2025 को अभिभाषक अपीलांट ने न्यायालय में उपस्थित आकर और अवसर दिये जाने का कथन किया, न्यायालय द्वारा नरम रूख अपनाकर अभिभाषक अपीलांट के निवेदन पर एक और अवसर दिया गया और अभिभाषक अपीलांट को आदेशित किया गया कि यदि आगामी पेशी दिनांक तक शेष रेस्पोडेंट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब नहीं किया जाता है उक्त पत्रावली पर आवश्यक रूप से कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। बाद इसके भी आदिनांक तक किसी भी आदेशिका की पालना अमल में नही लाई गई है इससे यह प्रतीत होता है कि अभिभाषक अपीलांट जैरकार प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। उक्त प्रकरण में आज तारीख पेशी पर भी अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक स्वयं को रूक–रूक कर बार–बार आवाजे लगवाई गई लेकिन उक्त प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट व अपीलांट स्वयं न्यायालय में हाजिर नहीं आये। अतः अपील अपीलांट अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो। (उम्मेद सिंह रतनू) राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर